**गुड़गाँव स्थित सिडबी के कार्यालय में**

**सुरक्षा व्यवस्था के लिए निविदा**

**निविदा भेजने की अंतिम तिथि-**

**21 नवम्बर, 2016, 15.00 बजे तक**

**गुडगाँव स्थित सिडबी कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने अपने गुड़गाँव स्थित कार्यालयों में निम्नलिखित रूप में सुरक्षा-व्यवस्था प्रदान करने के लिए इच्छुक प्रतिष्ठित सुरक्षा एजेंसियों से सीलबंद बोलियाँ आमंत्रित करता हैः

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **कार्यालय का नाम** | **सुरक्षा-कर्मियों की संख्या** | **चौबीसों घंटे की व्यवस्था** |
| गुड़गाँव | 3 | 8 घंटे |

एजेंसियों ने पिछले तीन वित्त वर्षों में से किसी एक वर्ष 20 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक टर्नओवर प्राप्त किया हो और विगत तीन वित्तीय वर्षों में उनका औसत टर्नओवर 15 लाख रुपये रहा हो। पूर्व-अर्हता मापदंड तथा निबंधन व शर्तें क्रमशः **अनुबंध I व परिशिष्ट** में दी गई हैं। ये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भी उपलब्ध हैं, और 13 अक्तूबर 2016 से सभी कार्य-दिवसों (शनिवार-रविवार व छुट्टियों को छोड़कर) पर 09.45 बजे से 17.30 बजे के बीच देखे जा सकते हैं।

दर सूचियाँ दो भागों में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिनका विवरण निम्नवत हैः

**भाग I (तकनीकी बोली) सीलबंद लिफाफे में**, जिसमें एजेंसी के गठन, सुरक्षा व्यवस्था संभालने का अनुभव, वार्षिक टर्नओवर, आय-कर आकलन आदि आदि (निर्धारित प्ररूप में) दिए गए हों और दस्तावेज़ी प्रमाणपत्र संलग्न हों।

**भाग II (वित्तीय बोली) सीलबंद लिफाफे में**, सुरक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय बोली (निर्धारित प्ररूप में) हो।

***भाग I के साथ रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की बयाना जमा राशि (प्रतिदेय) जमा की जाए, जो “भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक” के पक्ष में आहरित और गुडगाँव पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के रूप में होगी। इसके न जमा किए जाने पर तकनीकी बोली आगे विचार किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगी।***

प्रस्तुत की जानेवाली बोलियाँ “उप महाप्रबन्धक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उप महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भूतल, उद्योग मीनार, वाणिज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज़ V, ग़ुड़गाँव 122001, हरियाणाको संबोधित होनी चाहिए और उनके लिफाफे पर गुडगाँव **में सुरक्षा व्यवस्था”** अंकित होना चाहिए। बोलियाँ 21 नवम्बर 2016 को अधिकतम 1500 बजे तक हमें मिल जानी चाहिए। जो बोलियाँ विनिर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाएँगी वे स्वीकार नहीं होंगी। बोलियाँ उसी दिन 15.30 बजे खोली जाएंगी, और इच्छुक पार्टियाँ बोली खोलते समय उपस्थित रहने का कष्ट करें। बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी बोलियों को अस्वीकार कर दे।

**उप महाप्रबंधक,**

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी),**

**भूतल, उद्योग मीनार, वाणिज्य निकुंज**

**उद्योग विहार, फेज़V,**

**ग़ुड़गाँव 122001,हरियाणा**

**अनुबंध I**

**पूर्व-अर्हता मापदंड**

1. सुरक्षा एजेंसी स्वत्वाधिकारी फर्म अथवा भागीदारी फर्म अथवा निगमित निकाय होनी चाहिए, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो। **(पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)।**
2. एजेंसी को प्रतिष्ठित संगठनों जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को सुरक्षा सेवा प्रदान करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उनका वार्षिक बिक्री टर्नओवर 5 करोड़ रुपये का होना चाहिए। **(कार्य-आदेशों अथवा सूचीबद्धता पत्र की प्रति संलग्न करें)।**
3. एजेंसी ने पिछले तीन वित्तवर्षों यानी वित्तवर्ष 2014/2015/2016 में कम से कम एक वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक विक्रय टर्नओवर प्राप्त किया हो और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उसका औसत टर्नओवर रु. 15 लाख का रहा हो **(संगत वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलिपि संलग्न करें)**।
4. एजेंसी, यथास्थिति राज्य/ केन्द्र सरकार के श्रम एवं केन्द्रीय एवं उत्पादन शुल्क विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए **(पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)।**
5. एजेंसी को आयकर निर्धारिती होना चाहिए, जिसने मूल्यांकन वर्ष 2014, 2015 तथा 2016 के लिए आय-कर विवरणियाँ जमा कराई हों (पैन की प्रति तथा मूल्यांकन वर्ष 2014, 2015 तथा 2016 के लिए प्रस्तुत आय-कर विवरणी की प्रति संलग्न करें)। यदि एजेंसी आयकर विभाग से छूट प्राप्त हो तो छूट-प्रदायगी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।
6. बैंक की संपत्ति की सुरक्षा-सेवा के लिए तैनात सुरक्षा-कर्मियों को 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
7. सुरक्षा करार के निबंधन व शर्तें **संलग्नक** में दी गई हैं।

उपर्युक्त पूर्व-अर्हता मापदंडों के अनुसार अर्ह तथा परिशिष्ट में विहित निबंधनों व शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत एजेंसियाँ **‘तकनीकी बोली’** अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें, जिसपर **गुडगाँव में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तकनीकी बोली’’** अंकित होना चाहिए।

XXXXXX

अनुबंध I का परिशिष्ट

**सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें**

1. यह संविदा, संविदा प्रदान करने की तारीख से दो वर्ष अर्थात 01 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए है जिसे बैंक के पूर्ण विवेक पर मौजूदा, नई या मामले के अनुसार निबंधनों व शर्तों पर आगामी दो वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकता है।
2. बैंक अपने विवेकानुसार, कंपनी के साथ की गई संविदा के निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करेगा और उसके आधार पर बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपने पूर्ण विवेक से, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय संविदा को समाप्त कर दे।
3. बैंक की संपत्ति की सुरक्षा सेवाओं के लिए नियुक्त गार्डों की उम्र अधिमानत: 45 वर्ष से अधिक न हो।
4. सुरक्षा-व्यवस्था के लिए कंपनी को प्रति सुरक्षा-कर्मी, प्रति माह अदा की जाने वाली दर श्रम-आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर होगी और उसमें सेवा-प्रभार शामिल होगा। न्यूनतम वेतन में परिवर्तन के कारण दरों में परिवर्तन संबंधी अनुरोध की सूचना कंपनी द्वारा बैंक को दी जाएगी और बैंक को ऐसा अनुरोध मिलने पर बैंक उस पर *विचार कर सकता है*।
5. कंपनी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सान) अधिनियम आदि सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
6. कंपनी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक सुरक्षा गार्ड एक बार में आठ घंटे से अधिक की ड्यूटी न करे और असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त प्रति घंटा की दर सूचित की जाए।
7. नियुक्त किए जानेवाले गार्डों की संख्या का निर्णय बैंक करेगा, ताकि प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। आराम और छुट्टी की व्यवस्थाएं कंपनी के विवेकानुसार होंगी, जिसके लिए किसी मजदूरी-भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व बैंक पर नहीं होगा।
8. बैंक के अनुसूची में दिए गए परिसरों की सुरक्षा के लिए कंपनी पूर्णतया उत्तरदायी होगी। साथ ही, वह सभी पालियों में आवश्यकतानुसार सुरक्षा-कर्मी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।
9. बैंक की सहमति के बिना कंपनी गार्डों को एक स्थान/संस्था से हटाकर दूसरे स्थान/संस्था में नहीं लगाएगी।
10. जिन गार्डों को सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया गया है, वे ड्यूटी के समय कंपनी द्वारा प्रदान की गई उपयुक्त वर्दी पहनेंगे तथा पहचान पत्र धारण करेंगे। वर्दी देने तथा किसी भी संबंधित व्यय को कंपनी वहन करेगी।
11. तैनात किए गए कंपनी के सुरक्षा-कर्मी उक्त परिसरों से तब तक कोई सामान बाहर नहीं जाने देंगे, जब तक कि इस उद्देश्य हेतु बैंक के नामित अधिकारी ने उसके लिए अधिकृत न किया हो। पुनः सूचित और स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार उपलब्ध कराए गए सुरक्षा-कर्मियों के प्रबंधन व नियंत्रण कंपनी के अधीन होगा और उक्त सुरक्षा-कर्मी हर दृष्टि से कंपनी के अनुशासनिक प्राधिकार के अधीन रहेंगे।
12. कंपनी वचन देती है कि उसके द्वारा सहमत हुए कार्यों के निष्पादन में किसी कमी, गलती या त्रुटि के फलस्वरूप होने वाली किसी भी हानि, क्षति, चोरी, दावों, नुकसान, लापरवाही आदि के लिए वह बैंक को क्षति-पूर्ति करेगी।
13. एजेंसी अपने सौंपे गए कार्य को संपन्न करने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी, और एजेंसी द्वारा उक्त कार्य करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा चोट लगने अथवा अन्य किसी जोखिम के लिए यथास्थिति किसी क्षतिपूर्ति, हर्जाने, हानि की भरपाई आदि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। सुरक्षा का कार्य करने के लिए लगाए गए व्यक्ति/गार्ड अपने कार्यों तथा एजेंसी की चूक के लिए खुद उत्तरदायी होंगे।
14. कंपनी तथा सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सुरक्षा-कर्मियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने पर बैंक उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा, और बैंक तथा कंपनी अथवा सुरक्षा-कर्मियों के मध्य नियोजक व नियोक्ता का कोई संबंध अस्तित्व में नहीं आएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी केवल कंपनी की होगी।
15. निबंधनों व शर्तों के अनुपालन में कंपनी/उसके सुरक्षा-कर्मियों द्वारा गैर-निष्पादन अथवा त्रुटिपूर्ण निष्पादन अथवा निष्पादन हीनता, चोरी आदि के फलस्वरूप यदि बैंक को कोई हानि होती है तो बैंक लिखित में कंपनी से दावा करेगा और बैंक द्वारा कंपनी में दर्ज़ किए गए किसी भी दावे का निपटान कंपनी द्वारा एक माह की अवधि में किया जाएगा। यदि कंपनी द्वारा दावे का निपटान एक माह के भीतर नहीं किया जाता तो बैंक को हुई हानि की वसूली कंपनी को किए जानेवाले मासिक भुगतान में से कर ली जाएगी।
16. बैंक को अधिकार है कि कंपनी को इस आशय का एक महीने का नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए इस व्यवस्था को समाप्त कर दे, और व्यवस्था समाप्त करने का नोटिस लेने से कंपनी द्वारा इनकार किए जाने अथवा उसका परिहार करने पर उक्त नोटिस बैंक में दर्ज़ कंपनी के पते पर पंजीकृत डाक से भेज दिया जाएगा। इसके पश्चात् यह माना जाएगा कि नोटिस कंपनी को भेज दिया गया है। व्यवस्था के समाप्त होने के पश्चात् कंपनी को सौंपे गए कार्य के निष्पादन के लिए अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म को नियुक्त करने का अधिकार भी बैंक को रहेगा। उपर्युक्त व्यवस्था की समाप्ति के बावजूद, बैंक के निर्देशानुसार सौंपी गई सुरक्षा-व्यवस्था के संबंध में अपने दायित्व से कंपनी मुक्त नहीं हो जाएगी।
17. निबंधनों व शर्तों अथवा बैंक के प्रति कंपनी के कामकाज की व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद एकमात्र विवाचक होगा। इस संबंध में यदि कोई अन्य दस्तावेज़ निष्पादित करने की आवश्यकता हो तो एजेंसी उसके निष्पादन के लिए सहमत है।

---0---

**भाग – I**

तकनीकी बोली का प्ररूप

THE FORMAT FOR TECHNICAL BID

 **(सुरक्षा व्यवस्था)**

प्रेषक :

................................

................................

.................................

**प्रति** :

**महाप्रबंधक,**

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी),**

**भूतल, उद्योग मीनार, वाणिज्य निकुंज**

**उद्योग विहार, फेज़V,**

**ग़ुड़गाँव 122001,हरियाणा**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं. Sl. No.** | **विवरण / Particulars** | विवरण एजेंसी द्वारा भरे जाएँ |
| 1 | एजेंसी और संपर्क व्यक्ति का नाम/ संपर्क सं.   |  |
| 2 | एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय /व्यावसायिक पता / मोबाइल / दूरभाष संख्या. |  |
| 3 | निगमीकरण / गठन की तिथि  |  |
| 4 | संगठन के बारे में |  |
| 5 | एजेंसी का पैन , टैन, वैट सं. (प्रति संलग्न करें)  |  |
| 6 | क्या एजेंसी अल्प वित्त/ लघु उद्यम(एमएसई) है | हाँ/ नहीं |
| 7 | सेवा कर का पंजीकरण सं. (प्रति संलग्न करें)  |  |
| 8 | क्या फर्म / कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत हैं। पंजीकरण की तिथि (पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)  |  |
| 9 | क्या एजेंसी के पास प्रतिष्ठित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / उपक्रमों / 5 करोड़ की वार्षिक बिक्री वाले निजी क्षेत्र के बड़े संगठन के साथ कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव है? (कृपया कार्य आदेश की प्रतियां संलग्न करें) संलग्नक I,II,III |  |
| 10 | क्या श्रम विभाग के पास पंजीकृत है? पंजीकरण की तिथि( कृपया पंजीकरण की प्रति लगाएं ) |  |
| 11 | संसाधनों का विवरण (जन शक्ति, उपकरण एवं सयंत्र) और अन्य उपलब्ध संरचनागत सुविधाएँ ( संलग्नक –IV) |  |
| 12 | क्या सेवाकर के लिए केंद्रीय एवं उत्पाद विभाग के पास पंजीकृत हैं? (पंजीकरण की प्रति लगाएं ) |  |
| 13 | वित्तीय विवरण ( प्ररूप V में विवरण दिया जाए)पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत आमदनी पिछले तीन वित्तवर्षों में से क्या एक भी वर्ष में लाभ कमाया है। |  |
| 14 | क्या किसी ग्राहक/ एजेंसी ने आवेदक को अपनी सूची से हटाया है |  |
| 15 | क्या एजेंसी आयकर निर्धारिती है और उसने निर्धारण वर्ष 2013-14- एवं वर्ष 2014-15 , वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विवरणियां भरी हैं? (तीनों निर्धारण वर्षों की आयकर विवरणियों की प्रति संलग्न करें)  |   |
| 16 | क्या सुरक्षा एजेंसी द्वारा बैंक संपत्ति की सुरक्षा के लिए परिसर में लगाए जानेवाले सुरक्षा गार्ड अधिमानत: 45 वर्ष से अधिक नहीं होंगे ?  |  |

मैं/ हम बैंक द्वारा परिशिष्ट से संलग्नक I में विहित सभी शर्तों एवं निबन्धनों, को मानते हैं और उससे सहमत हैं I

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

दिनांक:

एजेंसी का नाम व मुहर

(यह प्ररूप मुहरबंद लिफाफे में अलग से भेजा जाएगा, जिसके ऊपर **सिडबी गुडगाँव की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तकनीकी बोली** अंकित होना चाहिए”)

**अनुबंध-I**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसी प्रकार के कार्यों का ब्यौरा

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रम सं.  | दी गई सेवा का नाम व पता | ग्राहक का नाम व पता तथा संपर्क (फोन/मोबाइल)नंबर | संविदा की राशि | संविदा-प्रदायगी की तारीख | संविदा की अवधि |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

कृपया हर संविदा के लिए संविदा/करार की प्रतियाँ तथा ग्राहक (नियोजक)के प्रमाणपत्र की प्रतियाँ संलग्न करें।

**अनुबंध-II**

इस समय किए जा रहे इसी प्रकार के कार्यों का ब्यौरा

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रम सं.  | प्रदत्तसेवा का स्वरूप और पता | ग्राहक का नाम व पता तथा संपर्क (फोन/मोबाइल)नंबर | संविदा की राशि | संविदा-प्रदायगी की तारीख | विनिर्दिष्ट अवधि  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

कृपया हर कार्य के लिए संविदा/करार की प्रतियाँ संलग्न करें।

**अनुबंध-III**

अन्य संस्थाओं में नियोजन के ब्यौरे

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रम सं.  | संस्था का नाम व पता तथा फोन/मोबाइल सं. | श्रेणी / किस प्रकार के कार्य के लिए सूचीबद्ध हैं  | कितनी राशि तक के कार्य के लिए पंजीकृत/सूचीबद्ध हैं | सूचीबद्धता की तारीख व वैधता | संस्था/बैंक आदि से प्राप्त प्रमाणपत्र/पत्र के ब्यौरे (यदि हों) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

कृपया प्रत्येक संस्था से प्राप्त सूचीबद्धता-पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें।

**अनुबंध –IV**

संसाधनों (जनशक्ति एवं संरचनागत सुविधाएँ) का ब्यौरा

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | जनशक्ति का ब्यौरा |  |
|  | (क) प्रबंधक / अभियंता  |  |
|  | (ख)पर्यवेक्षक  |  |
|  | (ग ) कुशल कामगार  |  |
|  | (घ) अकुशल कामगार  |  |
| 2 | उपलब्ध संरचनागत सुविधाओं का विवरण  |  |
|  |  |  |
| 3 | कोई अन्य संगत सूचना  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**अनुबंध- V**

वित्तीय सूचना (पिछले तीन वर्षों के दौरान टर्नओवर/लाभ व हानि आदि) का प्रारूप

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| सं. | वित्तीय वर्ष  | वार्षिक टर्नओवर (लाख रुपये में)  | लाभ /हानि (लाख रुपये में)  | नेट वर्थ(लाख रुपये में) | प्रमाण के लिए संलग्न दस्तावेज़ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

टिप्पणीः कृपया सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत लेखा-परीक्षित/प्रमाणित लाभ-हानि लेखा तथा तुलनपत्र संलग्न करें।

**भाग – II**

वित्तीय बोली का प्ररूप

(सुरक्षा व्यवस्था)

प्रेषक :

------------------------

----------------------------

----------------------------

प्रति

**उप महाप्रबंधक,**

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी),**

**भूतल, उद्योग मीनार, वाणिज्य निकुंज**

**उद्योग विहार, फेज़V,**

**ग़ुड़गाँव 122001,हरियाणा**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| विवरण  | गार्डों की संख्या  | प्रतिमाह प्रति गार्ड दर |
| सुरक्षा गार्ड(प्रति व्यक्ति दर) | 03 | `………………….कृपया शब्दों में भी लिखें |
| **प्रति घंटा अतिरिक्त दर** |  |  |

कृपया ध्यान दें:

उपरोक्त दरें लागू ‘सेवा कर’ को छोडकर हैं, लागू दरों पर सेवा कर अलग से लगाया जाएगा। **न्यूनतम मजदूरी दरों में परिवर्तन होने पर कंपनी से अपेक्षित है कि वह इस बारे में बैंक को सूचित करे। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद बैंक उस पर विचार करेगा**I

**हमें यह जानकारी है कि भुगतान के समय, सभी भुगतानों पर लागू स्रोत कर की कटौती देय होगी।**

**मैं / हम अनुबंध II के** परिशिष्ट से संलग्नक **I में वर्णित बैंक द्वारा विहित सभी शर्तों व निबंधनों एवं ऊपर वर्णित दरों पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं** I

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

एजेंसी का नाम व मुहर

दिनांक:

स्थान :

 (यह प्ररूप मुहरबंद लिफाफे में अलग से भेजा जाएगा, जिसके ऊपर **सिडबी गुडगाँव की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वित्तीय बोली** अंकित होना चाहिए”)